"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जून 2014 — ज्येष्ठ 26, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–8/आठ–परि./2013.– यतः, रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर द्वारा अबूझमाड़िया जनजातियों के सम्पूर्ण विकास के लिए बहुआयामी सामाजिक सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं तथा इस प्रयोजन के लिये आश्रम के स्वामित्व के विविध प्रकार के मोटरयानों, जिसमें स्कूल बस, एम्बुलेंस एवं ट्रक सम्मिलित हैं, का उपयोग, गरीब तथा जनजातीय बच्चों के निःशुल्क आवागमन के लिए तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में किया जा रहा है;

और यतः, राज्य शासन का यह मत है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान करना जनहित में वांछनीय है;

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के निम्नलिखित मोटरयानों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर

के भुगतान से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

स. क्र.	वाहन पंजीयन क्रमांक	वाहन का प्रकार	चेसिस नम्बर	इंजन नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सीजी17 एफ–0393	स्कूल बस	एमबी1 पीईईएफसी7 डीईवाईके8885	डीएईजेड 201529
2	सीजी17 एफ 0394	स्कूल बस	एमबी1 पीएईएफसी3 डीईसीके3194	डीसीएचजेड 100916
3	नया वाहन	स्कूल बस / टाटा 40 सीटर	एमएटी454063डी7एफ19179	497टीसी92एफ डब्ल्यूवाई831411
4.	सीजी04 / 1368 / 13 टीआर	एम्बुलेंस टाटा सूमो	एमएटी385058ई 9ए00451	483डी. 56पीडब्ल्यूवाई 711567
5.	नया वाहन	एम्बुलेंस फोर्स	एमसी1ई4सीएए1ईपी026426	डी63001174
6.	सीजी27 जी 0134	ट्रक 709	एमएटी453131डी8एन31952	497टीसी96एन डब्ल्यूवाई851171
7.	सीजी04 / 8709 / 13 टीआर	स्कूल बस	एमवीयूजेडटी54एक्सकेजेड 0178425	एसएलटी3केजेड 172047

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 16th June 2014

NOTIFICATION

No. F 5-8/viii-Trans/2013.— Whereas, Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur is indulged in multidimensional social services for the overall development of Abhujmariya tribes and for this purpose various types of motor vehicles, including school bus, ambulance and truck owned by the Ashram are being used for free transportation of poor and tribal children and in other social services;

And whereas, the State Government is of the opinion that is would be expedient to exempt the motor vehicles owned by Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur from payment of motor vehicles tax in the public interest;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, exempts the following motor vehicle, as specified in the table below, owned by the Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur from payment of motor vehicle tax leviable under section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of publication

of this Notification in the Official Gazette, namely:-

S. No	Vehicle Reg. No.	Type of Body	Chechis No.	Engine No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CG17F0393	School Bus	MB1PEEFC7DEYK8885	DAEZ201529
2.	CG17F0394	School Bus	MB1PAEFC3DECK3194	DCHZ100916
3.	New Vehicle	School Bus/ Tata 40 Seater	MAT454063D7F19179	497TC92FWY831411
4.	CG04/1368/ 13TR	Ambulance/ Tata Sumo	MAT385058E9A00451	483D.56PWY711567
5.	New Vehicle	Ambulance Force	MC1E4CAA1EP026426	D63001174
6.	CG27G0134	Truck 709	MAT453131D8N31952	497TC96NWY851171
7.	CG04/8709/ 13TR	School Bus	MBUZT54XKZ0178425	SLT3KZ172047

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K TOPPO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.